UPJS010055342023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश,अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थित- आदित्य चतुर्वेदी (एच.जे.एस)

J. O. Code No- UP 6311

वारंट एण्ड समन ट्रायल सं- 91/ 2023

रमेश पुत्र स्व. बृजलाल निवासी मकान नं 337 मोहल्ला नई बस्ती थाना कोतवाली झांसी।

--------**परिवादी**

बनाम

1- राजेन्द्र पुत्र प्रताप नारायण रायकवार

2- पवन उर्फ डोला पुत्र राजेन्द्र रायकवार

3- हरीशंकर उर्फ ठुन्ना पुत्र राजेन्द्र रायकवार

4- शुभम पुत्र राजेन्द्र रायकवार

5- श्रीमती जानकी पत्नी राजेन्द्र रायकवार

समस्त निवासीगण नई बस्ती यूनिट स्कूल के पास थाना कोतवाली जिला झांसी।

--------**विपक्षीगण**

दिनांक- 02. 04. 2026

1. पत्रावली पेश हुयी।पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।पत्रावली में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है।

2. संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार है कि परिवादी अनुसूचित जाति कोरी जाति का रेलवे से सेवानिवृत्त 76 वर्षीय वृद्ध व बीमार व्यक्ति है और कोरोना काल मे उसकी पत्नी श्रीमती माला देवी का देहांत हो गया है लिहाजा परिवादी ने अपनी लडकियो श्रीमती रीमा व छोटी लडकी श्रीमती निधि को अपनी देखभाल व सुरक्षा के लिए रख लिया है।विपक्षीगण की निगाह परिवादी के मकान को हडपने की है।विपक्षीगण आये दिन परिवादी व उनकी लडकिया व दामाद को तंग व परेशान करते चले आ रहे है। दिनांक 22. 8. 23 की शाम करीब 5. 30 बजे जब परिवादी व उसकी लडकिया श्रीमती रीमा व निधि घर पर बैठे हुए थे बडा दामाद कृष्णपाल व मनोज घर पर मौजूद नही थे तभी विपक्षी राजेन्द्र उसके लडके पवन उर्फ डोला , हरीशंकर उर्फ ठुन्ना ,शुभम व पत्नी श्रीमती जानकी परिवादी के घर में जातिसूचक गालियां देते हुए घुस आये और बोले कि कुरिया वाले मकान को लेकर हमारे खिलाफ बहुत कानूनी कार्यवाहियां कर रहे हो जिससे हम लोगो को परेशानी हो रही है।पुलिस को रूपया देना पडता है बहुत खर्च हो गया है आज पूरे परिवार को सबक सिखा देगे जिससे तुम लोग कानूनी कार्यवाहियां करना बंद कर दोगे और यह कहते हुए विपक्षीगण ने परिवादी को लात घूसो से मारना शुरू कर दिया यह देखकर परिवादी की पुत्रिया परिवादी को बचाने लगी तो पवन उर्फ डोला,हरीशंकर उर्फ ठुन्ना ने परिवादी की बडी लडकी रीमा को पकड लिया और उसे कपडे फाड दिए और अश्लील हरकते करने लगे यह देखकर परिवादी व उसकी छोटी पुत्री निधि ने रीमा को बचाने का प्रयास किया तो उन सभी लोगो ने धक्का देकर गिरा दिया। मुल्जिमान

Digitally signed by ADITYA CHATURVEDI
Date: 2026.04.02 16:40:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

राजेन्द्र, पवन,हरीशंकर,शुभम व श्रीमती जानकी मां बहन की गंदी गंदी गालिया देते हुए बोले मादरचोद कोरिया वाले बहुत कानूनी कार्यवाही करता है और घर के अन्दर पडी हुयी लाठी से पवन व हरीशंकर ने लाठी से,शुभम ,जानकी ने राजेन्द्र के कहने पर लात घूसो से आरोपी व उसकी बडी पुत्री रीमा की मारपीट की जिससे दोनो के शरीर पर जावेजा चोटे आयी।इतने मे बडा दामाद कृष्णकांत बाजार से वापस आ गया उसने भी बचाने का प्रयास किया तो पवन व हरीशंकर ने परिवादी के सिर पर तमंचा अडाकर धमकी दी और बोले कि यदि कोई बीच मे बोला तो जान से खत्म कर देगे तभी शोर सुनकर पडोस मे रहने वाले हरीराम और अचानक परिवादी के परिवार से मिलने वाले मित्र पंकज आ गए और उन्होने भी घटना देखी और हम लोगो को बचाया।लोगो को आता देखकर सभी लोग जातिसूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए और कह रहे थे कि कुरिया वाले तुम्हारे मकान पर कब्जा करके ही मानेगे। विपक्षी द्वारा मारपीट किए जाने के कारण परिवादी व उसकी बडी पुत्री रीमा के शरीर पर काफी मुंदी चोटे आयी लिहाजा परिवादी घटना की रिपोर्ट करने अपनी पुत्री रीमा के साथ थाना कोतवाली झांसी गया।परिवादी ने स्वयं जिला अस्पताल जाकर अपना व अपनी पुत्री रीमा का मेडिकल परीक्षण कराया।

3. परिवादी ने परिवाद के कथानक के समर्थन में स्वयं को धारा 200 द. प्र. सं. के तहत एवं गवाहान सी. डब्लू- 1 श्रीमती रीमा व सी. डब्लू- 2 हरीराम, सी. डब्लू- 3 पंकज को अन्तर्गत धारा 202 द. प्र. सं. में परीक्षित कराया गया है।

4. **परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।**

5. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त परिवाद में यह अंकित किया है कि दिनांक 22. 8. 23 की शाम करीब 5. 30 बजे जब परिवादी व उसकी लडकिया श्रीमती रीमा व निधि घर पर बैठे हुए थे तभी विपक्षी राजेन्द्र उसके लडके पवन उर्फ डोला , हरीशंकर उर्फ ठुन्ना ,शुभम व पत्नी श्रीमती जानकी परिवादी के घर में जातिसूचक गालियां देते हुए घुस आये और विपक्षीगण ने परिवादी को लात घूसो से मारना शुरू कर दिया यह देखकर परिवादी की पुत्रिया परिवादी को बचाने लगी तो पवन उर्फ डोला,हरीशंकर उर्फ ठुन्ना ने परिवादी की बडी लडकी रीमा को पकड लिया और उसे कपडे फाड दिए और अश्लील हरकते करने लगे ।यह देखकर परिवादी व उसकी छोटी पुत्री निधि ने रीमा को बचाने का प्रयास किया तो उन सभी लोगो ने धक्का देकर गिरा दिया।मुल्जिमान राजेन्द्र, पवन,हरीशंकर,शुभम व श्रीमती जानकी मां बहन की गंदी गंदी गालिया देते हुए घर के अन्दर पडी हुयी लाठी से पवन व हरीशंकर ने लाठी से ,शुभम ,जानकी ने राजेन्द्र के कहने पर लात घूसो से आरोपी व उसकी बडी पुत्री रीमा की मारपीट की जिससे दोनो के शरीर पर जावेजा चोटे आयी।इतने मे बडा दामाद कृष्णकांत बाजार से वापस आ गया उसने भी बचाने का प्रयास किया तो पवन व हरीशंकर ने परिवादी के सिर पर तमंचा अडाकर धमकी दी और बोले कि यदि कोई बीच मे बोला तो जान से खत्म कर देगे तभी शोर सुनकर पडोस मे रहने वाले हरीराम और अचानक परिवादी के परिवार से मिलने वाले मित्र पंकज आ गए और उन्होने भी

घटना देखी और हम लोगो को बचाया। जिसके समर्थन में साक्षी स्वयं परिवादी ने अपने बयान **धारा 200 द. प्र. सं. में कथन किया है कि**- दिनांक 22. 8. 23 की शाम करीब 5. 30 बजे जब मै अपनी लडकी रीमा व निधि के साथ घर पर मौजूद था, दोनो दामाद उस समय घर पर नही थे तभी पडोसी राजेन्द्र, पवन उर्फ डोला, हरीशंकर उर्फ ठुन्ना, श्रीमती जानकी, शुभम मेरे घर मे जातिसूचक गालियां साले कुरिया वाले और मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए घर में घुस आये और बोले मकान को लेकर कुरिया वाले हमारे खिलाफ बहुत कानूनी कार्यवाही करते है हम लोग बहुत परेशान हो चुके है, बहुत पैसा खर्च हो चुका है, यह कहते हुए सभी ने मुझे मिलकर लात घूसो से मारना शुरू कर दिया। मेरी लडकी निधि व रीमा बचाने आयी तो पवन उर्फ ढोला , हरीशकंर उर्फ ठुन्ना ने लडकी रीमा को पकड लिया। उसके कपडे फाडकर छीना छपटी की अश्लील हरकते करने लगे। निधि ने बचाने का प्रयास किया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। राजेन्द्र, पवन, हरीशंकर, शुभम और जानकी मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए जातिसूचक शब्द कहे व घर के अन्दर पडी लाठी से पवन व हरीशंकर ने मारा, शुभम व जानकी ने राजेन्द्र के कहने पर मुझे लात घूसो से मारा जिससे मुझे व मेरी लडकी रीमा को शरीर पर चोटे आयी। मेरा दामाद इसी दौरान कृष्णकान्त बाजार से वापस आ गया उसने बचाने का प्रयास किया पवन व हरीशंकर मेरे सिर पर तमंचा अडाकर धमकी दी कि नही मानोगे तो जान से खत्म कर देगे। शोर सुनकर पडोसी हरीराम और मिलने आये मित्र पंकज आ गये थे। उन्होने बचाया कि यह लोग मौके से भाग गए। घटना की रिपोर्ट लिखकर थाना कोतवाली मे उसी दिन दी थी लेकिन रिपोर्ट नही लिखी गयी न डाक्टरी करायी गयी। मैने और मेरी लडकी रीमा ने जिला अस्पताल जाकर अपनी डाक्टरी करायी। साक्षी **सी. डब्लू- 1 श्रीमती रीमा** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 द. प्र. सं मे कथन किया है कि- दिनांक 22. 8. 23 की शाम करीब 5. 30 बजे मेरे पिता, मै, मेरी छोटी बहन घर के अन्दर बैठे थे, मेरे पति कृष्णकांत व मनोज घर पर नही थे तभी विपक्षीगण राजेन्द्र, पवन, हरीशंकर उर्फ ठुन्ना, शुभम, पत्नी जानकी हम लोगो के घर मे जातिसूचक व मां बहन की गंदी गाली देते हुए घुस आये और विपक्षीगण ने मिलकर मेरे पिता रमेश को मारना शुरू कर दिया। लात घूसो से मैने व छोटी बहन ने पिता को बचाया तो पवन बोला हरीशंकर उर्फ ठुन्ना ने मुझे पकड लिया मेरे कपडे फाड दिए, अश्लील हरकते करने लगा। पिता रमेश छोटी बहन निधि बचाने का प्रयास किया और सभी ने धक्का देकर गिरा दिया। राजेन्द्र , पवन, हरीशंकर, शुभम, जानकी मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए बोले साले कुरिया वाले बहुत कानूनी कार्यवाही करता है और घर के अन्दर पडी लाठी से पवन व हरीशंकर ने, शुभम, जानकी एवं राजेन्द्र के कहने पर मेरे पिता रमेश व मुझे लात घूसो से मारापीटा जिससे शरीर पर चोटे आयी। इतने मे मेरे पति बाजार से वापस आ गए। उन्होने बचाने का प्रयास किया तो पवन व हरीशंकर ने मेरे पिता के सिर पर तमंचा अडाकर बोले कि यदि कोई बोला तो जान से मार देगे। शोर सुनकर पडोसी हरीराम व अचानक मेरे पिता के मित्र आ गए और घटना देखी व मुझे बचाया। इन लोगो के आने पर विपक्षीगण जातिसूचक गालियां देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए कि तुम्हारे मकान पर कब्जा करके ही मानेगे। मै व मेरे

पिताजी तत्काल घटना की रिपोर्ट करने थाना कोतवाली गए थे। उन्होने पूरी घटना बतायी दरोगाजी को, लिखित तहरीर दी फिर भी रिपोर्ट नही लिखी गयी। मजबूरी मे जिला चिकित्सालय जाकर अपना परीक्षण कराया। साक्षी **सी. डब्लू- 2 हरीराम** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 द. प्र. सं मे कथन किया है कि- रमेश मेरा छोटा भाई है। मै बगल मे रहता हूं। अभियुक्तगण राजेन्द्र, पवन, हरीशंकर, शुभम, श्रीमती जानकी को भी जानता हूं। मेरे पडोसी है। दिनांक 22. 8. 23 को शाम करीब 5. 30 बजे मेरे छोटे भाई रमेश उसकी लडकी निधि व रीमा घर पर थे। दोनो दामाद घर पर नही थे। तभी पडोसी राजेन्द्र , लडके, पवन, हरीशंकर, शुभम एवं जानकी जातिसूचक व मां बहन की गाली देते हुए रमेश के घर घुसे और जातिसूचक गालियां देते हुए लात घूसो से मारना शुरू कर दिया। रमेश की पुत्री रीमा व निधि बचाने लगी। पवन उर्फ डोला, हरीशकर ने रमेश की बडी लडकी रीमा को पकड लिया और कपडे फाड दिए और अश्लील हरकत करने लगे तब रमेश और छोटी पुत्री निधि ने रीमा को बचाने का प्रयास किया तो इन लोगो ने धक्का देकर गिर दिया। राजेन्द्र, पवन, हरीशंकर, शुभम, जानकी मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए घर के अन्दर पडी लाठी से पवन व हरीशंकर ने शुभम , जानकी व राजेन्द्र के कहने पर रमेश को लात घूसो से एवं बडी पुत्री रीमा की मारपीट की जिससे दोनो के शरीर पर चोटे आयी। इतने मे बडा दामाद वापस आजार से आ गया बचाने का प्रयास किया तो पवन हरीशंकर ने रमेश को तमंचा अडाकर धमकी दी कि बीच मे कोई बोला तो जान से खत्म कर देगे। शोर सुनकर रमेश के मित्र पंकज आ गए। हम लोगो ने घटना देखी थी और बचाया था। हम लोगो को आता देख सभी अभियुक्तगण ने जातिसूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए यह कहते हुए कि तुम्हारे मकान पर कब्जा करके मानेगे। मौके से भाग गए। रमेश अपनी लडकी को लेकर थाना कोतवाली दामाद के साथ चला गया था और मै अपने घर वापस आ गया। रमेश व रीमा ने जिला चिकित्सालय मे अपना चिकित्सीय परीक्षण कराया था। जिसकी जानकारी मुझे बाद मे मिली थी। **सी. डब्लू- 3 पंकज** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 द. प्र. सं मे कथन किया है कि - मै अभियुक्तगण राजेन्द्र, पवन उर्फ डोला, हरीशंकर उर्फ ठुन्ना, शुभम व श्रीमती जानकी को जानता हूं। मै परिवादी रमेश के पडोसी है। परिवादी रमेश मेरे मिलने वाले है। मै उनके यहां आता जाता रहता हूं। इसलिए परिवादी व अभियुक्तगण को जानता व पहचानता हूं। दिनांक 22. 8. 23 को शाम करीब 5. 30 बजे मै रमेश से मिलने उनके घर पर आया हुआ था और उनके यहां दौरान घटना मौजूद था। घर पर रमेश की लडकी निधि, रीमा भी मौजूद थे तभी रमेश के पडोसी राजेन्द का लडका पवन, हरीशंकर उर्फ ठुन्ना, शुभम एवं श्रीमती जानकी जातिसूचक मां बहन की गालियां देते हुए रमेश के घर मे घुस आये और रमेश को लात घूसो से मारना शुरू कर दिया। रमेश की पुत्री रीमा व निधि बचाने आयी तो पवन व हरीशंकर ने लाठी से व शुभम, जानकी ने मुल्जिम राजेन्द्र के कहने पर लात घूसो से रमेश और उसकी बडी लडकी रीमा को पकड लिया उसके कपडे फाड दिए और अश्लील हरकते करने लगे। रमेश और निधि ने रीमा को बचाने का प्रयास किया तो सभी ने मिलकर धक्का देकर गिरा दिया। मारपीट मे रमेश और रीमा के शरीर पर चोटे आयी थी। इतने मे

रमेश का बडा दामाद कृष्णकांत बाजार से लौटकर आया तो उसने भी बचाने का प्रयास किया तब पवन व हरीशंकर ने रमेश के सिर पर तमंचा अडाकर धमकी दी और बोले अगर कोई बीच मे बोला तो जान से खत्म कर देगे। शोर सुनकर पडोसी हरीराम भी आ गए। मैने व हरीराम ने उन लोगो को बचाया तो सभी लोग जातिसूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए और कह रहे थे कि रमेश कुरिया वाले तुम्हारे मकान पर कब्जा करके ही मानेगे। मारपीट से रमेश व उसकी लडकी रीमा को शरीर पर चोट आयी थी। इसके बाद रमेश लडकी रीमा को लेकर थाना कोतवाली रिपोर्ट लिखवाने चला गया था और मै अपने घर वापस आ गया था।

6. परिवादी व उसके साक्षीगण के बयानो के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 22. 8. 23 की शाम करीब 5. 30 बजे जब परिवादी अपनी पुत्रियो रीमा व निधि के साथ घर पर था तभी विपक्षीगण द्वारा घर मे घुसकर जातिसूचक शब्दो की गालियां व मां बहन की गंदी गंदी गालिया देते हुए लाठी घूसो से परिवादी व उसकी पुत्री श्रीमती रीमा की मारपीट की तथा विपक्षी ने श्रीमती रीमा के कपडे फाडकर उस पर आपराधिक हमला कारित किया तभी विपक्षीगण ने परिवादी के दामाद जो कि बाजार से वापस आया था उसकी भी मारपीट कर दी। उक्त घटना क्रम में परिवादी व उसकी पुत्री श्रीमती रीमा को चोटे आयी है। परिवादी के कथनों की पुष्टि स्वयं के बयान अन्तर्गत धारा 200 द. प्र. सं. तथा न्यायालय में धारा 202 द. प्र. सं. के तहत परीक्षित कराये गये साक्षीगण सी. डब्लू- 1 श्रीमती रीमा व सी. डब्लू- 2 हरीराम, सी. डब्लू- 3 पंकज के बयानों से भी होती है। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी रमेश व उसकी पुत्री श्रीमती रीमा की इंजरी रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि उनके द्वारा उसी दिन दिनांक 22. 8. 23 को समय करीब 7. 05PM बजे जिला चिकित्सालय झांसी में प्राइवेट रूप से चिकित्सीय परीक्षण कराया है जिसकी पुष्टि प्रपत्र संख्या 6B/ 4 रसीद संख्या 66,67 से होती है, जिसमें 68- 68 रूपये का भुगतान किया गया है। उक्त शुल्क चिकित्सीय परीक्षण हेतु जमा किया गया है। चूंकि मामले में लात घूसो व लाठी से मारना बताया गया है जो कि घातक शस्त्र की श्रेणी में नही आते है इसलिए धारा 148 IPC का अपराध प्रथमदृष्टया बनता प्रतीत नही होता है। समस्त घटनाक्रम एक सामान्य उददेश्य की पूर्ति में कारित किया गया है जिस कारण विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 149 IPC का अपराध प्रथमदृष्टया बनता प्रतीत होता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण राजेन्द्र, पवन उर्फ डोला, हरीशंकर उर्फ ठुन्ना, शुभम एवं श्रीमती जानकी को अन्तर्गत धारा 147,149,452,323,504,506,354B भा. द. सं. व धारा 3(1) द,ध एस. सी. / एस. टी. एक्ट के तहत तलब किये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण राजेन्द्र, पवन उर्फ डोला, हरीशंकर उर्फ ठुन्ना, शुभम एवं श्रीमती जानकी को अन्तर्गत धारा **147,149,452,323,504,506,354B** भा. द. सं. व धारा **3(1) द,ध** एस. सी. / एस. टी. के तहत विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण हेतु दिनांक 05. 05. 2026 को पेश हो।

परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करे।

दिनांक 02- 04- 2026

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश अनु. जाति/ अनु. जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, झांसी।